<u>घोषणा पत्र</u>

मेरा नाम _____ है, अधिकारी जिनका नाम और पद है/हैं:
_____ मेरे घर के पते
_____ पर आए थे दिनांक _____ को।

उन्होंने मुझे कोविड-19 का टीका लेने के लिए मजबूर किया। मैं केवल कोविड -19 वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूं उनके द्वारा मजबूर करने पर। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, इसलिए यदि भविष्य में मुझे इस वैक्सीन से कोई दुष्प्रभाव होता है या अगर मैं इसके दुष्प्रभाव से मर जाता हूं, तो जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुझे कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया, वे मेरे परिवार को 5 करोड़ रुपये का मुआवजा देंगे।

जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुझ पर कोविड-19 का टीका थोप दिया, वे टीके के दुष्प्रभावों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार होंगे क्योंकि भारत सरकार के अनुसार, इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक, कोविड -19 वैक्सीन पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसे नहीं लेने वालों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है।

यदि मेरे द्वारा टीकाकरण न कराने पर मुझे शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित या किसी भी प्रकार से भेदभाव किया जाता है तो ये अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा इन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 एवं 387 के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।

मेरा नाम अधिकारी का नाम

मेरे हस्ताक्षर अधिकारी के हस्ताक्षर